

अनुमति की शर्तें ।

- (i) एकल भवन / भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम या कोई एतरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत मसौदों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खंडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 428 दिनांक 12/06/2019

प्राचीन कमलेश लाउनवेल 3/0 गी कैलाश एचएल @ श्रीमती

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

भाग 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में फेज

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7052/- जमा की

जरिये रसीद संख्या 1063/428/4-282

दिनांक 12/06/2019 को जमा करा दी है ।

श्रीमती लोनी 0/0 श्री कमलेश लाउनवेल @ श्रीमती
P.No: 86 का पूर्वी भाग "A" पहाती
कैलाश एचएल 3/0 गी

जी.ए.ए.
आवासीय

12/06/19

प्रमुखकार
नगर निगम, जोधपुर

श्रीमती लोनी
नगर निगम, जोधपुर